

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जून 2021—ज्येष्ठ 20, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. एफ ए 3-45-2020-1-पांच (31).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2020 है.  
(2) ये नियम दिनांक 30 सितम्बर 2020 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 46 में, खण्ड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(द) नियम 48 के उप-नियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक संदर्भ संख्या (आई आर एन) सन्निहित करने वाला त्वरित निर्देश कूट;”.

- (2) नियम 48 में, उप-नियम (4) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कालन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हों. विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए इस उप-नियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी व्यक्ति या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा.”.

(3) नियम 138 क में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) नियम 48 के उप-नियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक निर्देश संख्या (आई आर एन) सन्निहित करने वाले त्वरित निर्देश कूट को ऐसे कर बीजक की भौतिक प्रति के बदले समुचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. एफ ए 3-45-2020-1-पांच (31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए 3-45-2020-1-पांच (31), दिनांक 10 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2021

No. F A 3-45-2020-1-V(31).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendation of the Council, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2020.

(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the date 30th September 2020.

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 46, after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:—

“(r) Quick Response Code, having embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, in case invoice has been issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48;”

(2) in rule 48, in sub-rule (4), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt a person or a class of registered persons from issuance of invoice under this sub-rule for a specified period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification.”

(3) in rule 138A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) In case, invoice is issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48, the Quick Response (QR) Code having an embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, may be produced electronically, for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.